राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राधा देवी बनाम नानगराम

तारीख हुक्म	1431/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 20/02/2026 को पेश हो |	
20/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/10/2024 पारित करते हुये तहसीलदार को प्रकरण में दो पटवारी एक गिरदावर की टीम गठित कर उभयपक्षकारान की तामील करवाने के उपरान्त तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर बाये मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करतेहुए कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28/07/2025 पारित करते हुये वादी का वाद विधि द्वारा बाधित होने कारण एवं क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वाद को ख़ारिज किया गया है | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि वादअधीन आराजी के मौके पर आबादी विकसित है तथा सम्पूर्ण भूमि पर गैर कृषि उपयोग किया जा रहा है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से वादी का वाद विधि एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के विरुद्ध धारित कर ख़ारिज करने में कोई विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत जाहिर होते है |	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	राधा देवी बनाम नानगराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28/07/2025 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	